न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/4374/2005/चित्तौडगढ

ख्याली दास पुत्र उंकारदास जाति बैरागी निवासी मानपुरा हाल भाईखेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र भगवान दास जाति बैरागी

2. बंशीदास पुत्र भगवान दास बैरागी निवासीगण मानपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ

3. मांगी दास पुत्र ख्यालीदास जाति बैरागी निवासी गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री मदन लाल गूर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोकनाथ अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 05.11.18

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण संख्या 1 व2 ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88,89,188 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादी, व तरतीबी प्रत्यर्थी मांगीदास के विरूद्ध ग्राम

मानपुरा तहसील व जिला चित्तोडगढ में स्थित वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल आठ तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 30-5-03 के द्वारा उक्त वाद को डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-5-2005 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि तनकी संख्या एक वादीगण को निस्तारण के लिये आवश्यक तनकी नहीं मानी जा सकती। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी स्वीकार किया है तो इस प्रकार की तनकी कायम किया जाना आवश्यक नहीं था। वाद की दादरसी के विपरीत जाकर निर्णय करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। तनकी संख्या 2 जिस प्रकार कायम की गई है उसको निर्णित करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। आराजी खसरा नम्बर 548 राजस्व रेकार्ड में चाह दर्ज है

तथा शामलाती कुआ है। कुए से पिलाई का विवाद पक्षकारान के मध्य होने से वादीगण का वाद अधिनियम की धारा 88,89 एवं 188 के तहत संधारण योग्य नहीं था। इसी प्रकार अन्य तनकीयों बाबत जो निर्णय पारित किया गया है वह साक्ष्य के विपरीत है। उनका तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय एवं डिक्री आदेश 41 नियम 31 एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 4(2) के अनुसार नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि हाल खसरा नम्बर 548 साबिक खसरा नम्बर 471 से बना है। आराजी खसरा नम्बर 471 गोपीदास,भगवान दास पिता उंकारदास के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 281 से गोपी दास का हिस्सा मांगी लाल पिता ख्यालीदास के नाम दर्ज हुआ एवं 1/2 हिस्सा भगवान दास पिता उंकारदास का यथावत रहा है। जिससे चाह नें 471 में वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा प्रमाणित है। चाह नं 471 के नवीन नम्बर 548 रकबा 0–05हेक्टर बना है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार खतौनी संख्या 123 में आराजी खसरा नम्बर 548 वादीगण का1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3,प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 के स्थान पर 1/3 तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ख्यालीदास के नाम दर्ज कर दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 471 के नवीन नम्बर 548 में वादीगण का 1/2हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक है। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत दर्ज किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व इन्द्राजात को परिवर्तन करने का अधिकार

नहीं है। अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे रेकार्ड के अनुरूप सही किया गया है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–5 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 548 साबिक खसरा नम्बर 471 से बना है। आराजी खसरा नम्बर 471 गोपीदास,भगवान दास पिता उंकारदास के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 281 से गोपी दास का हिस्सा मांगी लाल पिता ख्यालीदास के नाम दर्ज हुआ एवं 1/2 हिस्सा भगवान दास पिता उंकारदास का यथावत रहा है। जिससे चाह नें 471 में वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा प्रमाणित है। चाह नं 471 के नवीन नम्बर 548 रकबा 0–05 हेक्टर बना है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार खतौनी संख्या 123 में आराजी खसरा नम्बर 548 वादीगण का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3,प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 के स्थान पर 1/3 तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ख्यालीदास के नाम दर्ज कर दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 471 के नवीन नम्बर 548 में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक है। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत दर्ज किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व इन्द्राजात को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे रेकार्ड के अनुरूप सही किया गया है। इसलिये दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

४. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य